भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2569
11 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: बिहार में शीतागार की कमी

2569. श्री सतीश चंद्र दूबे:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में शीतागारों की कमी से संबंधित किसानों की समस्याओं का विश्लेषण किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार बिहार राज्य में शीतागारों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इसके लिए बिहार राज्य में जिलों की पहचान कर ली गई है और निधि आवंटित कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): नाबार्ड कंसल्टैन्सी सर्विसेस (एनएबीसीओएनएस) द्वारा वर्ष 2015 में "ऑल इंडियां कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी-2015)" पर एक अध्ययन आयोजित किया गया था। इस अध्ययन में बिहार सहित देश में वर्ष 2014 में 318.23 लाख मीट्रिक टन की मौजूदा क्षमता की तुलना में उस समय शीतागारों की आवश्यक क्षमता 351.00 लाख मीट्रिक टन होने का आकलन किया गया था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज की तारीख में देश में 393.61 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 8639 शीतागार हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गय हैं।

सरकार, बिहार सहित पूरे देश में शीतागारों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं चला रही है जिनके तहत शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड्रेड सब्सिडी के रूप में घटक के लिए सरकारी सहायता सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और पहाड़ी और अनुसूचित

क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भांडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीतागारों और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड सब्सिडी दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयाँ भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी के फसलोपरांत नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक, एकीकृत शीत श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना नामक योजना क्रियान्वित करता है। योजना के तहत, मंत्रालय भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से अनुदान सहायता के रूप में और मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75%, की दर से विकिरण सुविधा सहित समेकित शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन अनुदान सहायता प्रदान करता है। स्टैंडअलोन शीतागारों इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

एमआईडीएच योजना के तहत, शीतागार की स्थापना सहित फसलोपरांत प्रबंधन के अवसंरचना का घटक वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित होता है और इसे बिहार के किसी भी जिले में स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है। इस योजना के तहत राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, राज्य की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को आवंटित निधि का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**आवंटित निधि (रूपये करोड़ में)**
2021-22	33.33
2022-23	33.34
2023-24	32.00

अनुबंध-I

देश में जुलाई, 2023 तक शीतागारों का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	योग	
		सं.	क्षमता (मीट्रिक टन)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	467	1893071
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	45	216388
5	बिहार	313	1476557
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ	120	553832
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1004	3932193
11	हरियाणा	380	861670
12	हिमाचल प्रदेश	89	174072
13	जम्मू एवं कश्मीर	88	336515
14	झारखंड	60	248629
15	कर्नाटक	250	838940
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	315	1364003
19	महाराष्ट्र	655	1174075
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुदुचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	761	2588686
27	राजस्थान	191	652879
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	108	541397
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2472	15045874
33	उत्तराखंड	60	206621
34	पश्चिम बंगाल	515	5948316
		8639	**39361193**

(स्रोत: 2009 तक विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और एमओएफपीआई।

*****